



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08052025-262990
CG-MH-E-08052025-262990

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2005]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 8, 2025/वैशाख 18, 1947

No. 2005]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 8, 2025/VAISAKHA 18, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 6 मई, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 7A के तहत।

का.आ. 2050(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लेखित तालुका के संबंध में, “मध्य रेलवे के अंतर्गत “भुसावल मंडल के इगतपुरी-भुसावल खंड के बीच खेरवाड़ी-कस्बे सुकेने ब्लॉक सेक्शन के बीच, रेलवे किमी 209/28-29 पर लेवल कॉर्सिंग गेट संख्या 96 के स्थान पर आरओबी के प्रस्तावित निर्माण” की विशेष रेल परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रवंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम संख्या	सक्षम प्राधिकारी	तालुका	जिला
(1)	उपविभागीय अधिकारी, निफाड़	निफाड़	नासिक

[फा. सं. G197/BSLdiv/ROB&RUB/LC96/Nashik/7A]
अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th May, 2025

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 2050(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “Proposed construction of ROB & RUB in lieu of Level Crossing Gates no. 96, Railway Km 209/28-29 on block section Kherwadi-Kasbe Sukene between Igatpuri- Bhusawal section of Bhusawal Division” Taluka Mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

Sr. No	Competent Authority	Taluka	District
(1)	Sub-Divisional Officer , Niphad	Niphad	Nashik

[F. No. G197/BSLdiv/ROB&RUB/LC96/Nashik/7A]
AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)